

3190

मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ 6-53/2011/सात-नजूल

भोपाल, दिनांक 08/08/2011

प्रति,

1. प्रमुख सचिव/सचिव  
समस्त विभाग म0प्र0शासन
2. समस्त, संभागायुक्त  
मध्य प्रदेश
3. समस्त, कलेक्टर  
मध्य प्रदेश

पुष्प  
24/8/11

विषय:- गैर शासकीय संस्थाओं को विभिन्न प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन की सुस्पष्ट नीति तैयार किया जाना।

---0---

कार्यालय कलेक्टर, ज-नजूल

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, विशेष अनुमति याचिका (सिविल)

127509/2011 में पारित आदेश दिनांक 6-4-2011 के परिप्रेक्ष्य में शासकीय तथा औद्योगिक एवं बिजी पूंजी निवेश के मामले में भूमि के आवंटन के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया विहित की जाती है:-

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, मंडीबोर्ड, मंडी समितियां, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, विकास प्राधिकरण, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय, शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं एवं अन्य शासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों आदि के मामले में शासकीय भूमि का उपयोग संप्रभु सरकार द्वारा जनहित में किया जाता है। अतः ऐसे मामलों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
2. औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना के लिये भी शासकीय भूमि सीधे किसी औद्योगिक संस्था या उद्यमि को न देते हुए उद्योग विभाग को

R  
24.8.11

हस्तांतरित की जाती है। अतः प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार जिला कलेक्टर राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 4 क्रमांक-1 की कंडिका- 36 में विहित प्रावधान का पालन करते हुये उद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए उद्योग विभाग को भूमि हस्तांतरित करेंगे।

3. औद्योगिक विकास केन्द्रों के बाहर भूमि आवंटन के मामलों में औद्योगिक संस्था / उद्यमी द्वारा उद्योग विभाग में भूमि आवंटन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उद्योग विभाग द्वारा भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यूनतम आवश्यक भूमि का आंकलन किया जायेगा और उद्योग विभाग को भूमि हस्तांतरण करने के लिये जिला कलेक्टर को मांग प्रस्तुत की जायेगी। कलेक्टर भूमि हस्तांतरण के लिये प्रकरण तैयार करेगा तथा संभागीय आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजेगा। राजस्व विभाग द्वारा उद्योग विभाग को शासकीय भूमि का हस्तांतरण किया जाएगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 6-4-2011 को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग अपनी विभागीय नीति में भूमि आवंटन की प्रक्रिया, हस्तांतरित शासकीय भूमि का प्रीमियम, भू-भाटक का निर्धारण तथा शर्त भंग एवं उद्योग/इकाई नियत अवधि में स्थापित नहीं होने अथवा जिस प्रयोजन के लिए शासकीय भूमि का आवंटन किया गया है, उस प्रयोजन हेतु उपयोग न होने की दशा में भूमि की राजस्व विभाग को वापसी अथवा उसी प्रयोजन के लिए अन्य औद्योगिक इकाईयों को आवंटन आदि के संबंध में सुस्पष्ट प्रावधान का समावेश सुनिश्चित करेंगे।


4. उर्जा उत्पादन के लिये पावर प्लांट स्थापना करने के लिये भी शासकीय भूमि का आवंटन किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में उद्यमी द्वारा उर्जा विभाग में भूमि आवंटन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। उर्जा विभाग द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण कर न्यूनतम आवश्यक भूमि का

आंकलन किया जावेगा और भूमि हस्तांतरण करने के लिये जिला कलेक्टर को मांग प्रस्तुत की जावेगी। भूमि हस्तांतरण एवं आवंटन की शेष प्रक्रिया यथास्थिति कंडिका क्रमांक 3 में दिए गए प्रावधान अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

5. राज्य के आर्थिक विकास के लिये निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिये लागू अन्य नीतियों यथा - पर्यटन नीति, गैर पारम्परिक उर्जा नीति (मध्यप्रदेश में अपारम्परिक उर्जा स्रोतों जैसे- सोलर, वायु, बायो एनर्जी आदि से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु नीति) आदि के अंतर्गत शासकीय भूमि के आवंटन के लिये निवेशक/ उद्यमी संबंधित विभाग को आवेदन करेगा। संबंधित विभाग द्वारा आवेदन का परीक्षण कर आवश्यक न्यूनतम भूमि के हस्तांतरण के लिए कलेक्टर को मांग प्रस्तुत किया जाएगा। आवंटन की प्रक्रिया यथास्थिति कंडिका क्रमांक-3 में दर्शाये गये प्रावधान के अनुसार ही की जाएगी।

यह प्रावधान राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 का भाग माना जावेगा।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(आर0के0स्वाई)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक एफ 6-53/2011/सात-नजूल  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 08/08/2011

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग मंत्रालय ।
2. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर ।
3. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर म0प्र0, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म0प्र0 भोपाल ।
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर ।
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग मंत्रालय।  
की ओर सूचनार्थ ।
7. गार्ड फाइल ।



(आर0के0स्वाई )

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग